न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 29 / 2021

कमलेश सेनी पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल सेनी मेहन्दीबाग मालियों की गली हाल निवासी मिश्रा कालोनी टोंक जिला टोंक राज0

----अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 20–10–2021

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29–06–2021 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1– जिला कलेक्टर टोंक के पत्रांक विकास / जनसुनवाई / 966 / दिनांक 6–7–2020 द्वारा आयुक्त नगर परिषद टोंक को जारी पत्र की प्रति उपलब्ध करावें एंव उक्त पत्र की पालना में आयुक्त नगर परिषद टोंक द्वारा पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच कर किये गये मौका निरीक्षण की प्रति उपलब्ध करावें।

2– सहायक निदेशक लोकसेंवाऍ कलक्ट्रेट टोंक के पत्रांक लोकसेवाऍ / सम्पर्क / 21 4177 दिनांक 7–6–2021 द्वारा आयुक्त नगरपरिषद टोंक को जारी किये गये पत्र की प्रति उपलब्ध करावें एंव आयुक्त नगरपिरषद टोंक द्वारा उक्त पत्र की पालना में दी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करावें।

3– मिश्रा कालोनी टोंक द्वारा दिनांक 15–6–2021 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में आपके कार्यालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई रिपोर्ट उदपलब्ध करावें एंव सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही रिपोर्ट (मौका निरीक्षण रिपोर्ट) करी प्रति उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई एंव दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलव किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला क[illegible]क को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधि[illegible] टोंक द्वारा पत्र कमांक :865 दिनांक 20–10–2021 से जवाब प्रेषित किया कि अपीलार्थी द्वारा [illegible] जा रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:49:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचना के बिन्दु सं0 1 की सूचना के सम्बन्ध में नगरपरिषद टोंक से सम्बन्धित होने से अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आयुक्त नगर परिषद टोंक को पत्र क्रमांक 1828 दिनांक 6–2–2021 से अन्तरित कर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट को सूचित कर दिया गया था। बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना प्राप्त करने के लिए सहायक निदेशक लोकसेवाएँ कलक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 5042 दिनांक 8–7–2021 से आवेदक को सूचित किया गया था कि नियमानुसार 6 रूपये शुल्क जमा करवाकर चाही गई सूचना प्रतिलिपि शाखा कलक्ट्रेट टोंक से प्राप्त करें। जवाव का अवलोकन किया गया अपीलार्थी को यदि आयुक्त नगरपरिषद टोंक द्वारा सूचना नहीं दी गई है तो वह नियमानुसार आयुक्त नगरपरिषद के प्रथम अपील अधिकारी सभापति नगरपरिषद टोंक को अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वंतत्र हैं। अपीलार्थी को जवाव से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:49:00 IST
Reason: SelfAttested